

केन्द्रीय सूचना आयोग
द्वितीय तल, अगस्त क्रांति भवन
भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली - 110066.

प्रथम अपील सं. CICOM/A/2018/60058
संदर्भ संचिका सं. CICOM/R/2018/50282

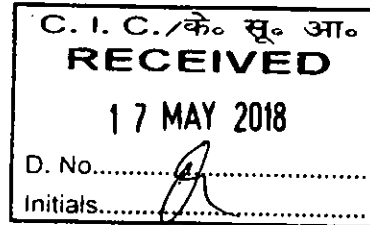
दिनांक: 16.05.2018

अपीलकर्ता : श्री चौ० नारायण सिंह, अधिवक्ता,
द्वारा - श्री कृष्ण पाल, अधिवक्ता,
2021, पिलंजी कोटला मुबारकपुर,
नई दिल्ली - 110023.

निर्णय की तारीख : 16.05.2018

ऑनलाइन आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	22.04.2018
आर.टी.आई. के तहत सूचना प्रदान करने की तिथि	08.05.2018
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी का नाम	श्रीमती सविता तलूजा (श्री एस. पी. बेक, सं.स. द्वारा 5 (4) के तहत सहायता)
ऑनलाइन प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	12.05.2018

1. अपीलकर्ता द्वारा ऑनलाइन आर.टी.आई. आवेदन के माध्यम से छः बिंदुओं पर सूचनाएं मांगी गई थी, जिसके प्रतिउत्तर में श्रीमती सविता तलूजा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी एवं अनुभाग अधिकारी (प्र०) द्वारा श्री एस. पी. बेक, संयुक्त सचिव (प्र०) से सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 5 (4) के तहत सहायता लेकर अपीलकर्ता को प्रदान की गई सूचना के विरुद्ध प्रथम अपील दाखिल की गई है।
2. संबंधित संचिका (प्रथम अपील आवेदन एवं आर.टी.आई. आवेदन) का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलकर्ता के दिनांक 22.04.2018 के उक्त ऑनलाइन आर.टी.आई. आवेदन के बिंदु सं. 1, 2, 3, 4 एवं 6 के संदर्भ में श्रीमती सविता तलूजा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान की गई सूचना बिल्कुल तथ्यानुसूचित है तथा इसमें प्रथम अपीलीय अधिकारी के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है। आर.टी.आई. आवेदन के बिंदु सं. 5 के संदर्भ में पूर्ण सूचना प्रदान नहीं की गई है, तदुसार श्रीमती सविता तलूजा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी एवं अनुभाग अधिकारी (प्र०) को निर्देश दिया जाता है कि इस आदेश की प्राप्ति के दस कार्यदिवसों के अंदर अपीलकर्ता को उनके आर.टी.आई. आवेदन के बिंदु सं. 5 से संबंधित पूर्ण एवं स्पष्ट सूचना उपलब्ध करवाई जाए।
4. तदुसार अपील निस्तारित की जाती है।
5. प्रस्तुत संदर्भ में अपीलकर्ता यदि इस आदेश/निर्णय से संतुष्ट न हों तो अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत द्वितीय अपील इस आदेश की प्राप्ति के 90 दिनों के अंदर केन्द्रीय सूचना आयोग, बाबा गंग नाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली - 110067 में की जा सकती है।



प्रतिलिपि :

1. श्री ए. के. शर्मा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली।
2. श्रीमती सविता तलूजा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी एवं अनुभाग अधिकारी (प्र०), के०सू०आ०, नई दिल्ली।

राकेश

(आर. के. सिंह)

अपर सचिव एवं

प्रथम अपीलीय अधिकारी

दूरभाष - 011-26162290

सविता
17/5/18

17/5/18